समाहरणालय, दरभंगा

(जिला पंचायत कार्यालय)

जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2016 को आयोजित सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः पंजी के अनुसार।

2. कार्यवाही

- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के 7 निश्चयों में 2 निश्चय यथा–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग से होना है। जिला स्तर पर इसके नोडल पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी होंगे।
- उपरोक्त योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायत स्तर पर किया जाना है, जिसके लिए योजना का बैंक खाता पंचायत स्तर पर खोला जाना है। इसके अतिरिक्त 14वॉ वित्त एवं पंचम राज्य वित्त आयोग का भी बैंक खाता पंचायत स्तर पर खोला जाना है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे उक्त योजनाओं का खाता खोलने हेतु पंचायत सचिव एवं मुखिया को पत्र निर्गत करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश निर्गत करेंगे।
- इन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु दिनांक 09.11.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने एवं इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रखंड समन्वयक, स्वच्छ भारत अभियान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंता, मनरेगा के सहायक/कनीय अभियंता, इन्दिरा आवास पर्यवेक्षक आदि को भाग लेने हेतु निदेश निर्गत करने का निर्देश जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा को दिया गया।
- प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रखंडवार 18 अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति करते हुए उन्हें भी जिला स्तरीय प्रशिक्षण में आमंत्रित करने का निदेश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया।
- उपरोक्त प्रशिक्षण में ओ0डी0एफ0 पंचायतों यथा–बनौली, नवानगर नरमा, हरहच्चा एवं दिघियार के मुखिया को भी आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।
- प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कार्यक्रम तैयार करने का निदेश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया।
- प्रखंड/पंचायत स्तर पर कमिटी का गठन करने हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी आवश्यक निदेश निर्गत करें।
- पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कराया जायेगा।
- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखण्ड के एक महादलित टोला में मिनी वाटर सप्लाई स्कीम स्वीकृत हुई है। केवटी, जाले एवं हनुमाननगर प्रखण्डों में एक–एक अतिरिक्त योजना भी स्वीकृत हुई है। परन्तु अंचल अधिकारियों से महादलित टोलों की सूची एवं जमीन का अनापत्ति प्रतिवेदनप्राप्त नहीं हो रही है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी इस संबंध में अंचल अधिकारियों को आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

- तकनीकी सहयोग के लिए तकनीकी पदाधिकारियों का पैनल बनाया जाना है, इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाने का निदेश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 1808 / पंचायत, लहेरियासराय, दिनांक 02 नवम्बर 2016.

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर / बेनीपुर / बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।